राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक :– प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर दिनांक : 26.06.2019

1. समस्त अति. मुख्य सचिव,/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

विषयः– मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा के सम्बन्ध में।
संदर्भ :–इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.11.2017 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार संदर्भित पत्र की ओर ध्यानाकर्षित कर निवेदन है कि आपसे कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 02.01.2017 से पूर्व राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने तथा तीन वर्ष में टंकण परीक्षा (अंग्रेजी/हिन्दी) उत्तीर्ण किये जाने का प्रावधान के अनुसार, आपके अधीन कार्यरत जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में उक्त कम्प्यूटर कोर्स/टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की के संबन्ध में पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न तालिका में सूचना चाही गई थी :–

विभाग का नाम	कर्मचारी का नाम जिन्होंने निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर कोर्स अर्जित नही किया है।	कर्मचारी का नाम जिन्होंने कम्प्यूटर कोर्स अर्जित कर लिया है किन्तु टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।	कर्मचारी का नाम जिन्होंने निर्धारित समयावधि के पश्चात टंकण परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने हेतु कार्मिक विभाग से शिथिलन प्राप्त किया हो और उसके पश्चात भी अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नही की है।	कर्मचारी की नियुक्ति तिथि
1	2	3	4	5

अतः सूचना आज दिनांक तक अपेक्षित है। अतः निर्देशानुसार निवेदन है कि जिन कार्मिकों द्वारा नियुक्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में उक्त कम्प्यूटर कोर्स/टंकण परीक्षा आज दिनांक तक उत्तीर्ण नही की जा रही है, के सम्बन्ध में उपरोक्त तालिका में सूचना 7 दिवस में आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

कृपया इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय
ह0/

(जय सिंह)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–18/एम/[illegible]/2019/1464 दिनांक : 03/07/19

प्रतिलिपि निम्न को भेजकर निर्देश है कि उपरोक्त परिपत्र के अनुसार मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति के पश्चात ली जाने वाली टंकण परीक्षा के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र में सूचना तीन दिवस में विभागीय ईमेल आईडी Add4ng@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। विलम्ब की स्थिति के लिए आप स्वंय जिम्मेदार होगें।

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
3. समस्त अधीक्षक/संलग्न चिकित्सालय समूह,
4. समस्त संयुक्त निदेशक,
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
   जोन, राजस्थान
5. प्रभारी सर्वर रू., मुख्यालय को उक्त आदेश अपलोड करने हेतु।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर